



**न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना।**  
**जमाबंदी रद्द वाद संख्या-134/2018-19**

**हेमन्त कुमार बनाम बुद्धदेव दास**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
<p>07.12.2018</p> <p>CP-01-19</p>	<p>आवेदक की ओर से वकालतनामा के साथ जमाबंदी रद्द से संबंधित U/s 9(i) of Bihar Mutation Act 2011 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया है।</p> <p>पंजीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के लिये, न्यायालय में दिनांक-08/01/2019 को रखें।</p> <p align="right">                       अपर समाहर्ता, पटना                 </p> <p>आवेदक की दलीलें पढ़ी।</p> <p>आवेदक के निम्न अधिवक्ता को मुताबिक आवेदक द्वारा लगे 7/1994 से दिनांक 19-11-1994 को जारी आदेश तथा दिनांक 30-11-1994 को जारी डिप्टी के आदेश पर विपत्ती की जमाबंदी इन्होंने तथा अपने नाम से जमाबंदी आप्त करने हेतु यह वाद लड़ा गया है।</p> <p>यह मामला जबलु न्यायालय से जारी डिप्टी के आदेश पर रीजिन (कॉम) लिए जाने से संबंधित है। आवेदक यह हेतु संबंधित अधिवक्ता की तथा आवेदन दे सकते हैं।</p> <p>वाद की आपत्ती समाप्त की जाती है।</p> <p align="right">                       8/1/19                 </p>	